छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 944 / 2008

1.	श्री सुजीत शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, शांति नगर, दुर्ग रोड, बेमेतरा, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)	–	अपीलार्थी

विरूद्ध

1.	जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कबीरधाम (छत्तीसगढ़)	–	प्रति अपीलार्थी

/ / आदेश / /

(दिनांक 14 जुलाई, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री सुजीत शर्मा द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कबीरधाम के समक्ष दिनांक 28.04.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 19. 06.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील का निराकरण समयावधि में नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 31.07.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया। प्रकरण में अंतिम सुनवाई दिनांक को प्रति अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी को सुना गया। प्रकरण में विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, किन्तु उसका उत्तर उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। चूंकि प्रकरण में अपीलार्थी को जानकारी दी गई है, किन्तु अपीलार्थी उसे अपूर्ण बता रहे हैं, अतः अपीलार्थी को यह निर्देश दिये गये थे कि शेष जानकारी को स्पष्ट करते हुए एक पत्र वे कार्यपालन अभियंता को देंगे, किन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई पत्र दिया जाना प्रतीत नहीं होता है और कार्यपालन अभियंता ने इस बारे में पत्र भी लिखा था। मौखिक तर्क में अपीलार्थी ने यह बताया कि मूल अनुबंध एवं भुगतान देयक की छायाप्रति उन्हें उपलब्ध नहीं हुई है, जो उन्होंने आवेदन में मॉगी थी। अपीलार्थी ने यह भी बताया कि बीच में संपर्क करने गये थे, किन्तु दिनांक 30.05.2009 को वह ही छायाप्रति दे रहे थे, जो पूर्व में उन्हें दी गई थी, अतः उन्होंने लेने से इंकार कर दिया। पूरे प्रकरण को देखने से यह स्पष्ट है कि जानकारी देने में विलंब हुआ है, जिसका कारण बताने के लिए सूचना पत्र जारी किया गया था, किन्तु उसका उत्तर जन सूचना अधिकारी ने नहीं दिया, अतः उनका दोष तो विलंब के लिए सिद्ध है और जैसा कि अपीलार्थी बता रहे हैं कि बाद में अपूर्ण जानकारी मिली है और अंतिम सुनवाई दिनांक को इस तर्क के विरूद्ध तर्क देने के लिए प्रति अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं था। फिर भी चूंकि अधिकांश जानकारी दे दी गई है, अतः प्रकरण में थोड़ा उदार रूख अपनाते हुए अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी/कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कबीरधाम पर विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के लिए राशि दो हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अब शेष जानकारी 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 400/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com